# न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

**(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)**

**अपील संख्या :–39/2018/भीलवाड़ा (2018/00039)**

1. सुखा पिता उदा गुर्जर, निवासी कालसांस, तह0 व जिला भीलवाड़ा ।
2. मांगीलाल पिता उदा गुर्जर, नि0 माताजी का खेड़ा मजरा कालसांस, तह0व जिला भीलवाडा ।
3. गंगाराम पिता लालू जाट, नि0 कालसांस, तह0 व जिला भीलवाडा ।

**अपीलांट्स**

**बनाम**

1. श्रीमती देउ पत्नि देबीलाल बलाई, नि0 जुनावास, तह0 व जिला भीलवाड़ा।
2. श्यामलाल पिता देबीलाल बलाई, नि0 जुनावास, तह0 व जिला भीलवाड़ा ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा ।

**रेस्पोडेंट्स**

**अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा दिनांक 11.2.2017 अंतर्गत प्रकरण संख्या 223/2016.**

**उपस्थितः–**

1. श्री हेमराज गुप्ता, वकील अपीलांट्स ।
2. श्री संतोषनाथ देवड़ा, वकील रेस्पो0 संख्या 1.

## निर्णय

**दिनांक :– 28.11.2018**

अपीलांट्स ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय ) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 11.2.2017 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधी0न्याया0 में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111–128 राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कालसांस पटवार हल्का रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाडा में आराजी संख्या 1511 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा भूमि अवस्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है इसलिये प्रार्थीगण अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है । अतः आवेदन स्वीकार कर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 11.2.2017 को प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये। अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट संख्या 1 उपस्थित । अधी0न्याया0 की पत्रावली प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 1 की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 के समक्ष ग्राम कालसांस के आराजी नंबर 1511 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा के लिये पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन किया था जिसमें वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रार्थीगण ने अपने आवेदन में अपीलांटस को भूमि के पड़ौसी होने का उल्लेख किया है जबकि अपीलांटस पड़ौसी न होकर विवादित भूमि पर कब्जेधारी है तथा अपीलांटस के कब्जे को हटाने के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 183 राज0काश्त0अधि0 रेस्पो0 ने प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 ने पूर्व में भी पत्थरगढ़ी का प्रार्थना पत्र किया था जिस पर कार्यवाही की गई थी तथा अब पुनः उसी आराजी पर पुनः पत्थरगढ़ी कराने का आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर आलोच्य आदेश पारित करना विधि विरूद्ध है । अपीलांटस पत्थरगढ़ी की आड़ में अपीलांटस को विवादित आराजी से बेदखल करना चाहते है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय अपास्त किया जावे ।

4- विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश की अपीलंटस को पूर्व में जानकारी नहीं थी । रेस्पो0 दिनांक 30.4.2018 को मौके पर पत्थरगढ़ी कराने के लिये आने पर अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई जिस पर अपीलांट ने जानकारी की दिनांक को ही अधी0न्याया0 के निर्णय की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 30.4.2018 को आदेश की प्रति प्राप्त होने पर अपीलांट ने जानकारी से अंदर मियाद यह

अपील प्रस्तुत की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

5- विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस एवं बहस में कथन किया कि रेस्पो0 विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार है जो अपनी आराजी की पत्थरगढ़ी कराने के अधिकारी है । रेस्पो0 अनुसूचित जाति के व्यक्ति है जिनकी भूमि पर अपीलांट्स को अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है इसके बावजूद अपीलांट्स रेस्पो0 की खातेदारी आराजी पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट्स अपास्त की जावे।

**6-** हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स एवं रेस्पो0 संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थन पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट्स ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट्स को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

**7-** प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि संम्वत 2071-74 के अनुसार ग्राम कालसांस स्थित विवादित आराजी खसरा नंबर 1511 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा के खातेदार रेस्पो0 संख्या 1 व 2 दर्ज रिकार्ड है । अधी0न्याया0 ने पत्थरगढ़ी के आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार से विवादित भूमि के संबंध में मौका रिपोर्ट प्राप्त की है जिसमें पटवारी हल्का ने अंकित किया है कि विवादित आराजी में जरीब चलाने पर विवाद होने से पत्थरगढ़ी कराया जाना उचित होगा । रिकार्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी आराजी का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी कराने का पूर्ण अधिकार है तथा पत्थरगढ़ी के आदेश से राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन होने की भी संभावना नहीं है । अपीलांट्स दस्तावेजी साक्ष्यों से यह सिद्ध करने में असफल रहे है कि रेस्पो0 की जिस भूमि बाबत् अधी0न्याया0 ने पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये है वह आराजी अपीलांट्स की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की हो। अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व विवादित भूमि के संबंध में मौका रिपोर्ट प्राप्त कर विधिसम्मत् रूप से पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है ।

**8-** उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट अपास्त योग्य तथा उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.2.2017 यथावत रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

**—:क्रियात्मक आदेशः—**

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 39/2018 (2018/00039) बउनवानी सुखा बनाम श्रीमती देउ को अपास्त किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 223/2016 बउनवान श्रीमती देउ बनाम सुखा में पारित निर्णय दिनांक 11.2.2017 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

**(के.के.शर्मा)**
**अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,**
**अजमेर**

आदेश आज दिनांक 28.11.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

**(के.के.शर्मा)**
**अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,**
**अजमेर**

Signature Not Verified
Digitally signed by Kishore Kumar Sharma
Date: 2018.11.28 17:36:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: